अध्याय 4

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय 4: आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

4.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के पास एक उचित अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए । कई कार्यविधियाँ और प्रतिक्रिया प्रणालियाँ पूर्व में ही उन अधिनियमों/नियमों में शामिल की गई थी जो राज्य सरकार को मुख्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के निष्पादन पर निरंतर नज़र रखने के लिए सक्षम बनाती हैं । यह सम्बंधित प्राधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने हेतु मध्य पाठ्यक्रम सुधार लागू करने के लिए समय पर, पर्याप्त और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए था ।

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध पर अंकुश लगाना एक सतत् कार्य है जिसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले कई विभाग शामिल हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं के तहत् उद्देश्यों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किया जा सकें । प्रशासन द्वारा योजनाऐं बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना एवं धन, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के रुप में संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

मुख्य रूप से पांच विभागों/प्राधिकरणों (मअनि, सान्याअवि, बाअवि, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण) को महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए योजना तैयार करने, विभिन्न अधिनियमों/नियमों/योजनाओं को लागू करने, मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, राहत प्रदान करने और पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में काम करने और इन उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने का काम सौंपा गया था । आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली में निर्दिष्ट समितियों की स्थापना, उनकी नियमित बैठकें आयोजित करना, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा वार्षिक/आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उच्च अधिकारियों द्वारा उनका मूल्यांकन, निर्धारित निरीक्षण करना, आश्रय गृहों में उचित सुरक्षा उपायों को स्थापित करना एवं पीड़ित/बेसहारा के पुनर्वास के लिए उपाय करना इत्यादि शामिल हैं ।

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि क्या निगरानी ढाँचा और मूल्यांकन प्रणाली महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अपराध रोकने में शामिल राज्य मशीनरी को बेहतर बनाने में प्रभावी थे तथा जाँच परिणाम निम्नानुसार वर्णित हैं:-

अधिनियम का नाम	धारा/प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	अधिनियम की धारा 21	नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को एक वार्षिक प्रतिवेदन	आन्तरिक समिति/ स्थानीय समिति	जिला अधिकारी
		जिला अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों पर संक्षिप्त प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रेषित करना	जिला अधिकारी	राज्य सरकार

आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति में से किसी ने भी अधिनियम लागू करने के बाद से 2017 तक नियोक्ताओं /जिला अधिकारियों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम लागू होने के बाद से 2017 तक किसी भी जिला अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को एक भी संक्षिप्त प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। नमूना जांच किए गए जिलों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और टोंक एवं अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों) की आगे संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान भी कोई सुधार नहीं हुआ था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति के वार्षिक प्रतिवेदन जिला अधिकारियों द्वारा निदेशालय को भेजे जा रहे थे।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय के पास उन संगठनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। वह केवल ऐसे 1540 संगठनों (बजाय राजस्थान में 69,879 इकाइयों के जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सूचित किया गया) की जानकारी रखता था। नमूना जांच किए गए जिलो में भी आन्तरिक समिति की पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसलिए जिला अधिकारियों द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पूरी जानकारी प्रदान नहीं कर सकते थे।

आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति की वार्षिक रिपोर्ट उनके अस्तित्व, कामकाज और कार्य परिवेश में महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराने के लिए उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्रणाली को लागू करने में विभाग की विफलता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि उसके पास राजस्थान में विद्यमान आन्तरिक समितियों/स्थानीय समितियों की कुल संख्या के बारे में पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी भी नहीं थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रत्युत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए थे (फरवरी 2021 एवं जनवरी 2022)।

अधिनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007	राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का नियम 5(3)	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बाल विवाह के मामलों और उन पर की गई कार्यवाही की त्रैमासिक विवरणी जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है।	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट
	राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का नियम 4	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समय-समय पर विवाह पंजीकरण अधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करेगा।	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी	महिला अधिकारिता निदेशालय

नमूना जांच किये गये किसी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा वर्ष 2012-17 के दौरान त्रैमासिक विवरणी नहीं भेजी गई थी। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सभी संबंधित अधिकारियों को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु फिर से निर्देश दिये गये हैं। नमूना जांच किए गए 14 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक के तीन बाविप्रअ और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों के 11 बाविप्रअ) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान बाविप्रअ, पाली को छोड़कर कोई सुधार नहीं हुआ था। यह कहा गया था कि त्रैमासिक विवरणियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जा रही थीं लेकिन लेखापरीक्षा को कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। बाविप्रअ रोहट (पाली) ने अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

नमूना जांच किये गये 14 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों मे से नौ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा अवधि 2012-17 के दौरान विवाह पंजीकरण अधिकारियों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया तथा 2016-17 में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (रोहट) ने केवल एक निरीक्षण किया था, जबकि चार अन्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (प्रतापगढ़, पाली, रामगंज मंडी और जयपुर-I) ने इस संबंध में कोई सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सभी संबंधित अधिकारियों को विवाह पंजीकरण अधिकारियों के अभिलेखों के नियमित निरीक्षण के लिए फिर से निर्देश दिये गये हैं।

पूछताछ करने पर, नमूना जांच किए गए 14 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक के तीन बाविप्रअ और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों के 11 बाविप्रअ) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पता चला कि बाविप्रअ, जयपुर-I को छोड़कर कोई सुधार नहीं हुआ जिसने 2017-20 के दौरान तीन निरीक्षण (ग्राम पंचायत, सिरसी, धानक्या और बेगस) किए। बाविप्रअ रोहट (पाली) ने अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से बाल विवाह रोकने से संबंधित त्रैमासिक जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा, अधिसूचित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को समय-समय पर निदेशालय द्वारा विवाह पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गये थे।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाविप्रअ द्वारा जिलाधीश को त्रैमासिक विवरण प्रेषित किया जाना था। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए तीन बाविप्रअ द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नमूना जांच किए गए दो बाविप्रअ द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।

राजस्थान में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज है और यह प्रथा लंबे समय से प्रचलित है। राज्य को इस सामाजिक बुराई से छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रयास और इन प्रयासों के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी आवश्यक है। हालांकि, बुनियादी नियंत्रणों को लागू करने में विफलता जैसे कि प्रतिवेदन को नियमित रूप से प्रस्तुत करना और उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण, राज्य द्वारा किये गये कार्यों को करने की क्षमता को कम आँकना तथा उन्हें मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाने से रोकता है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि मअनि ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से बाल विवाह को रोकने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद समेकित किया।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाविप्रअ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को त्रैमासिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित सूचना अभी भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

योजना का नाम	धारा /प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.3 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (नियमन एवं अनुदान) योजना	महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों का कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा (काअ) महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण/दौरा किया जाना था। (मअनि के जनवरी 2014 के निर्देश)	महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महीने में कम से कम एक बार दौरा/निरीक्षण किया जाना था।	कार्यक्रम अधिकारी	मअनि

2014-17 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों में निर्धारित दौरों के केवल 13.91 प्रतिशत (302 के विरूद्ध 42) किये गये। नमूना जाँच किये गए 11 मसुसकें (4 मसुसकें चार पुलिस जिलों जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं 7 मसुसकें शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मसुसकें के 373 अनिवार्य निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 45 निरीक्षण (12.06 प्रतिशत) टोंक (10), जयपुर-पूर्व (3), जयपुर-ग्रामीण (10), पाली (10), बारां (5), कोटा शहर (4) एवं कोटा ग्रामीण (3) किये गये थे। जयपुर-पश्चिम, उदयपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर में 2017-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक भी निरीक्षण नहीं किया गया।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए तथा निरीक्षण पश्चात् प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित करने हेतु सभी उप/सहायक निदेशकों को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के मासिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थें (जनवरी 2021)।

निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लगातार अभाव के कारण महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती आदि जैसी कमियों पर महिला अधिकारिता निदेशालय के प्राधिकारियों द्वारा लम्बे समय से ध्यान नहीं दिया गया/सुलझाया नहीं गया।

विनियम का नाम	धारा/प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.4 राजस्थान राज्य महिला आयोग, विनियमन, 2007	विनियमन 3(1) एवं 4 (अ)	आयोग की साधारण बैठक दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिये ताकि किसी अनुचित कार्यप्रणाली की जाँच की जा सके, सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।	राजस्थान राज्य महिला आयोग	राज्य सरकार
		उसका प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।	राजस्थान राज्य महिला आयोग	राज्य सरकार

2012-17 के दौरान, आवश्यक 30 बैठकों के विरूद्ध केवल 13 बैठकें हुई। आगे की संवीक्षा के भाग के रूप में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017 के बाद से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और 2017-20 के दौरान केवल 4 बैठकें (18 के विरुद्ध) आयोजित की गईं। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि 2019 और 2020 के दौरान आवश्यक कोरम के अभाव तथा आयोग के गठन नहीं होने के कारण, आयोग की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

इस प्रकार, आयोग की नियमित बैठकों के आयोजन को सुनिश्चित नहीं करने से राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग करने में विफल रही, जिसके आधार पर केंद्रित कार्यवाही शुरू की जा सकती थी।

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	**धारा 8(ख)(4)**	राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सलाह देने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से एक सलाहकार बोर्ड का गठन/नियुक्ति करेगी।	सान्याअवि	राज्य सरकार
नमूना जांच किये गये जिलों मे 2012-17 के दौरान सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि चार जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड गठित कर दिये गये है तथा अन्य जिलों के जिला कलेक्टरों को सलाहकार बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामांकन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आगे, संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि, राज्य सरकार के निर्देशो के दो साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य के शेष 29 जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि चार जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था और शेष जिलों में नामांकन शीघ्र ही किया जायेगा। अभी तक जिला सलाहकार बोर्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी निगरानी प्रणाली स्थापित करने में विफलता ने इस संकट को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासो को कम कर दिया है, जैसा कि राजस्थान में दहेज संबंधी अपराधों की बढ़ती संख्या प्रकाश डालती है।				

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.6 गृहों एवं आश्रयस्थलों के लिए नियम 1970	नियम 52 एवं 53 (iii)	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं मुख्य निरीक्षक क्रमशः वर्ष में कम से कम एक बार और दो बार गृहों एवं आश्रयस्थलों का निरीक्षण करेंगे।	निदेशक एवं मुख्य निरीक्षक	राज्य सरकार
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (17 निरीक्षणों के विरुद्ध) और मुख्य निरीक्षक (34 निरीक्षणों के विरुद्ध) ने 2012-17 के दौरान, निदेशक सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में एक बार किये गये निरीक्षण के अलावा नारी निकेतन/महिला सदन का निरीक्षण नहीं किया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2018) कि निदेशक तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए थे। राजस्थान सरकार के प्रत्युत्तर के विपरीत, सितंबर 2020 में महिला सदन जयपुर और अगस्त-अक्टूबर 2021 में नारी निकेतन कोटा, उदयपुर और भरतपुर के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017-20 के दौरान निदेशक, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने आवश्यक 12 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल तीन बार (उदयपुरः अगस्त 2017; जयपुरः मई 2019 और कोटाः मई 2019) निरीक्षण किया तथा मुख्य निरीक्षक ने आवश्यक 24 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल तीन बार (उदयपुरः जुलाई 2018 और सितंबर 2019 एवं जयपुरः अप्रैल 2018) निरीक्षण किया।				

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर दिया गया था और त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गई थी।

हालांकि, 2017-20 के दौरान महिला सदन, जयपुर में किये गये निरीक्षणों की कम संस्था के संबंध में राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

नियमित निरीक्षण जैसी सरल निगरानी प्रणाली की अनुपालना के अभाव में कर्मचारियों की कम तैनाती, पुनर्वासित महिलाओं का अनुवर्तन नहीं किया जाना इत्यादि जैसी कमियाँ लम्बी समयावधि तक ध्यान में नहीं आई।

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.7 स्वाधार गृह योजना दिशा निर्देशिका	**खण्ड के**(i)	सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिला महिला कल्याण समिति का (जिमकस) गठन	सहायक निदेशक, सान्याअवि	सान्याअवि
	परिशिष्ट iii	प्रत्येक आवासनी के प्रकरण संबंधित पूर्ण विवरण रखने के लिये अलग पत्रावली का रखरखाव	संबंधित गैर सरकारी संगठन	सान्याअवि

नमूना जांच किये गये सभी तीन जिलों बारां, टोंक और उदयपुर में से किसी में भी जिला महिला कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन (दिसम्बर 2017) किया गया है एवं नियमित रुप से निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के विपरीत, सहायक निदेशक, सान्याअवि, टोंक के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में पाया गया कि जिला महिला कल्याण समिति का अगस्त 2020 तक भी जिले में गठन नहीं किया गया था। जिला कार्यालय बारां एवं उदयपुर ने सूचित किया (सितम्बर-अक्टूबर 2021) कि जिलों में जिला महिला कल्याण समिति का गठन कर दिया गया है।

2012-17 के दौरान स्वाधार गृह टोंक और बारां में आवासनियों की अलग-अलग व्यक्तिगत पत्रावलियों का, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है, संधारण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि 2012-17 के दौरान स्वाधार गृह टोंक और बारां द्वारा व्यक्तिगत पत्रावलियों को संधारित किया गया था। आगे, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2020) से ज्ञात हुआ कि जून 2017 में स्वाधार गृह गुरुकुल सेवा समिति टोंक को बंद कर दिया गया था। उपनिदेशक/ सहायक निदेशक सान्याअवि टोंक, उदयपुर और बारां (सितंबर 2020 में टोंक और सितंबर-अक्टूबर 2021 में उदयपुर और बारां) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा से पता चला कि सान्याअवि के जिला कार्यालयों में आवासनियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों को अभिलेखों में संग्रहित नहीं किया गया था।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

आवासनियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों के अभाव में, आवासनियों को उपलब्ध कराई गई वास्तविक सहायता को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा था जिससे उनके पुनर्वास हेतु किए गए प्रयासों के मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न हुई होगी।

अधिनियम का नाम	धारा / प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.8 पोक्सो अधिनियम	**धारा 44** (।)	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल अधिकार आयोग) द्वारा अधिनियिम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था।	(बाल अधिकार आयोग)	राज्य सरकार
जनवरी 2010 से दिसंबर 2017 तक बाल अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त की गई कुल 605 शिकायतों में से 503 शिकायतों (83.14 प्रतिशत) का निपटारा किया गया और 102 (16.86 प्रतिशत) शिकायतें मार्च 2018 तक लंबित रहीं। आगे, बाल अधिकार आयोग की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में ज्ञात हुआ कि जनवरी 2018 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त कुल 421 शिकायतों में से 397 शिकायतों (94.30 प्रतिशत) का निपटारा किया गया और 24 (5.70 प्रतिशत) शिकायतें अगस्त 2020 तक लंबित रहीं। 28 (पहले से लम्बित 4 सहित) शिकायतों के मामले में विचारधीन समय बारह से अड़तालीस माह का था। ध्यान में लाये जाने पर बाल अधिकार आयोग ने प्रत्युत्तर दिया कि अदालत में चालान प्रस्तुत करने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होंने के कारण शिकायतें लंबित रही। बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि कुछ मामलों में जांच में अधिक समय लगता है अथवा कुछ अन्य कारणों से चालान जमा करने में पुलिस द्वारा देरी हो सकती है, और इसलिए ऐसे मामलों को रारावाअसंआ की लंबितता के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्थान सरकार शिकायतों के मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सकती है।				

अधिनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.9 राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2011	**नियम 63**	संस्थानों (बालिका गृहों) की दशा तथा उपयुक्तता की निगरानी एवं देखभाल के लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित था।	बाल अधिकारिता विभाग जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ	राज्य सरकार बाल अधिकारिता विभाग
	नियम 62	किशोर या बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा छुट्टी पर जाने की अनुमति देना तथा किशोर या बच्चे के छुट्टी की समाप्ति पर वापस न आने पर उसे वापस संस्थान में लाने के लिए मामला पुलिस को सौंपना ।	किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई

4.1.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	**धारा 30** (viii)	बाल कल्याण समिति आवासीय सुविधाओं का प्रति माह दो निरीक्षण करेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।	बाल कल्याण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार
4.1.11 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	**धारा 13** (i)	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास संस्थानों के निरीक्षण एवं अनियमितताओं को संबंधित अधिकारियों के साथ उपचारात्मक कार्यवाही हेतु उठाने का शासनादेश है।	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य सरकार
4.1.12 गृहों एवं आश्रयस्थलों के लिए नियम 1970	**नियम 22 (1)**	पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन।	संबधित गृह	बाल अधिकारिता विभाग

(अ) सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य शामिल नही किये गये थे तथा ये समितियाँ जून 2017 तक कार्यशील नहीं पाई गई यद्यपि राज्य/जिलों में निरीक्षण समितियों के गठन के आदेश (फरवरी 2012) जारी कर दिये गये थे। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन फरवरी 2012 में किया गया था। आगे की संवीक्षा (अगस्त 2020) से ज्ञात हुआ कि राज्य स्तर पर निरीक्षण समिति में अभी भी सभी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी आवश्यकता थी, (चिकित्सा विशेषज्ञ अनुपस्थित थे) नहीं की गई और अभी भी समिति द्वारा निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए।

नमूना जांच किए गए आठ जिला बाल संरक्षण इकाईयों (जयपुर एवं टोंक दो जिबासंइ अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिबासंइ अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पता चला कि सभी जिला बाल संरक्षण इकाईयों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तथापि, जिबासंइ जयपुर और बारां में गठित समितियों में स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के सदस्य नहीं थे। इसलिए, इन कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त नहीं किये जा सके।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि राज्य और जिला स्तरों पर निरीक्षण समितियों का गठन किया गया था।

तथापि, नामित सदस्यों के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(ब) 2013-17 के दौरान, मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा में 80 बालिकाएं बाल कल्याण समिति, कोटा की अनुमति प्राप्त किये बिना संस्थान से अनुपस्थित थी। इनमें से, 42 बालिकाएं वापस नहीं लौटी। आगे की संवीक्षा में पाया गया कि बाल कल्याण समिति के साथ-साथ संस्थान ने इन मामलों को पुलिस को नहीं भेजा।

(स) 2016-17 के दौरान, पांच बाल कल्याण समितियों (भरतपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर एवं कोटा) द्वारा लक्षित 552 निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 38 निरीक्षण (7 प्रतिशत) किये गये। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे थे। नमूना जांच किए गए आठ बाल कल्याण समितियों (जयपुर एवं टोंक दो बाकस अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः बाकस अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पाया गया कि राजस्थान सरकार के उत्तर के विपरीत बारंबारता और निरीक्षणों की संख्या निराशाजनक रही। वर्ष 2017-20 के दौरान लक्षित 1695 निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 238 निरीक्षण (14.04 प्रतिशत) किये गए थे।

(द) 2012-17 के दौरान सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बालिका गृहों का आयोग द्वारा किये गए निरीक्षणों का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था, यद्यपि आयोग के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए गए थे। इसके अलावा, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभिलेखो की संवीक्षा (अगस्त 2020) से ज्ञात हुआ कि कलेन्डर वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बालिका गृहों के 36 निरीक्षण (2018: 05 एवं 2019: 31) किये गये थे, संबधित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

(य) नमूना जांच किए गए 10 सरकारी/गैर सरकारी बालिका गृहों तथा खुले आश्रय गृहों से 2012-17 के दौरान दो हजार पांच सौ पिच्चासी बालिकाओं को पुनर्वासित किया गया था और उन्हें गृह से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन किसी भी बालिका गृह/आश्रय गृह द्वारा पुनर्वासित बालिकाओं का नियमानुसार अनुवर्तन (फॉलोअप) नहीं किया गया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बाल कल्याण समितियों द्वारा पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन (फॉलोअप) किया जा रहा हैं। आगे, नमूना जांच किए गए चार बालिका गृहों (अगस्त-सितंबर 2020 में बालिका गृह जयपुर और शेष तीन बालिका गृह अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पाया गया कि1,912 बालिकाएं (जयपुर: 672, उदयपुर: 239 और कोटा: 1,001) का पुनर्वास किया गया था लेकिन 2017-20 के दौरान तीन बालिका गृहों में केवल 113 पुनर्वासित बालिकाओं (जयपुर: 31, उदयपुर: 55 और कोटा: 27) का अनुवर्तन (फॉलोअप) किया गया। इसके अलावा बालिका गृह, भरतपुर में 378 बालिकाओं का पुनर्वास किया गया था लेकिन 2017-20 के दौरान अनुवर्तन (फॉलोअप) नहीं किया गया था।

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

विभिन्न एजेंसियो द्वारा नियंत्रण और निगरानी प्रावधानों के पालन करने में हो रही कमियों जैसे कि निरीक्षण समितियों का गठन, निरीक्षण किया जाना, आवासनियों की सुरक्षा, पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन इत्यादि के कारण असुरक्षित और पीड़ित बालिकाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने में इन एजेन्सियों के प्रयासो को कमजोर किया है।

दिशा निर्देशिका का नाम	धारा/प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.13 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999	**विनियम 12 एवं 16**	जिला प्राधिकरण/ तालुक समिति लम्बित मामलों पर विचारविमर्श एवं निगरानी करने तथा प्रतिकर तय करने और पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्णय लेने के लिए माह में एक बार बैठक करेगी।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुक विधिक सेवा समिति	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
2012-17 के दौरान नमूना जांच किये गये नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में 65.93 प्रतिशत, जबकि आठ तालुक विधिक सेवा समितियों की बैठकों में 86.88 प्रतिशत की कमी थी। दो तालुक विधिक सेवा समितियों में (बारां जिले में *अंता* और पाली जिले में *सोजत*) 2012-17 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। तीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (भरतपुर, जयपुर तथा टोंक) ने अवगत कराया (मार्च-जुलाई 2018) कि पूर्णकालिक सचिव की तैनाती न होने के कारण, प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं (विधिक सहायता और प्रतिकर के मामलों) की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की जा सकी। नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तीन जिविसेप्रा जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छःजिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2018 में सचिव नियुक्त किए जाने के बावजूद भी, नमूना जांच किए गये नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा आठ तालुक विधिक सेवा समितियों में से किसी में भी निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई। 2017-20 के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों मे 37.65 प्रतिशत, जबकि तालुक विधिक सेवा समितियों में 92.01 प्रतिशत बैठकों की कमी रही। विधि एवं विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने उत्तर नही दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति की बैठकों में अत्यधिक कमी रहने के कारण लम्बित मामलों की उचित निगरानी नहीं की गई एवं पीड़ितों को प्रतिकर देने तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्णय में देरी हुई।			

4.1.14 विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत पुलिस और अदालतों में दर्ज मामले

वर्ष 2012-19 के दौरान स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (स्थाविअ) के अन्तर्गत दर्ज महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आँकड़े राज्य पुलिस विभाग से एकत्र किये गये थे। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए इसी तरह के आँकड़े राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से भी माँगे गये थे। दोनों आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि 2012-19 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में दर्ज कुल (1,10,023 मामले) मामलों की तुलना में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत पुलिस में बहुत कम संख्या में मामले (3,139 मामलें) दर्ज किए गए थे, जैसा कि **तालिका 22** में दिया गया है:-

तालिका 22

क्र.सं.	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम का नाम	न्यायालय में दर्ज मामलों की संख्या	पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या	अन्तर
1	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	1,204	581	623
2	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	13,463	130	13,333
3	स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	1,060	183	877
4	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	1	0	1
5	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	68,506	49	68,457
6	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	224	74	150
7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	24,887	2,025	22,862
8	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	578	0	578
9	राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	100	97	3
	कुल	**1,10,023**	**3,139**	**1,06,884**

स्रोतः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राज्य पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तीन स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' और 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' के तहत दर्ज मामलों की संख्या में बहुत ज्यादा अन्तर था। इस प्रकार आँकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा था। यह पुलिस और कानूनी प्राधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के बीच उचित समन्वय की कमी का परिचायक था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि कई मामले भादसं और दप्रसं की विभिन्न धाराओं के तहत अदालतों में सीधे प्रस्तुत किए गए थे और इन्हें पुलिस थानों में प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा उत्तर को प्रमाणित करने के लिए भादसं और दप्रसं की विशिष्ट धाराओं के तहत अदालतों में सीधे दर्ज किए गए मामलों के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि भादसं और दप्रसं की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अदालतों में कई मामले सीधे प्रस्तुत किए गए

तथा पुलिस थानों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, कई मामले अदालत में स्वतः संज्ञान के आधार पर दर्ज किए गए।

पुलिस विभाग और अदालतों में दर्ज मुकदमों में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए उत्तर को देखने की आवश्यकता है जबकि विभाग द्वारा इस अंतर के मिलान के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए।

निष्कर्ष

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के तहत निर्धारित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी। संबंधित प्राधिकारियों ने आश्रय स्थलों और सुरक्षा गृहों की उचित निगरानी नहीं की तथा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित आवधिकता के अनुसार बैठकें नहीं की। आंतरिक समिति/स्थानीय समिति ने नियोक्ताओं/जिला अधिकारियों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, नमूना जांच किए गए जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के लिए निर्धारित निरीक्षणों के केवल 12.89 प्रतिशत निरीक्षण ही किये थे, राजस्थान राज्य महिला आयोग की आवश्यक 48 बैठकों के विरुद्ध 2012-20 के दौरान केवल 35.42 प्रतिशत (17 बैठकें) हुईं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला सलाहकार बोर्ड का गठन दिसम्बर 2020 तक भी 29 जिलों में नहीं किया गया था। निरीक्षणों की कमी, आवासीय सुविधाओं एवं बच्चो की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए अन्य आवश्यकताओ की कमी के कारण बालिका गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 2012-19 के दौरान किसी भी बालिका गृहों/आश्रय स्थलों में पुनर्वासित बालिकाओं का नियमानुसार अनुवर्तन नहीं किया गया। नमूना जांच किये गए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों/तालुक विधिक सेवा समितियों में से किसी में भी 2012-20 के दौरान निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई।

अनुशंसाएं

14. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र राजस्थान राज्य महिला आयोग आदि के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें। नामित अधिकारियों को निर्धारित संख्या में सार्वजनिक बैठकों और आंतरिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि राज्य में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी की जा सके।

15. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों (जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम आदि) के तहत अनुरूप निगरानी समितियों का विधिवत गठन किया गया है और उनके संबंधित कानूनों द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

16. आवासनियों को सेवाएं प्रदान करने में अनियमितताओं के समय पर सुधार के लिए स्वाधार गृहों, बालिका गृहों और संरक्षण और पुनर्वास गृहों का उचित अनुश्रवण और नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनादि मिश्र

जयपुर,
06 अप्रैल, 2022

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
08 अप्रैल, 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक